

म.प्र. विद्युत मण्डल कर्मचारी परस्पर सहकारी साख संस्था मर्यादित मन्दसौर,
जिला मन्दसौर म.प्र.

(पंजीयन क्रमांक ए.आर.एम.डी. 512 दिनांक 08.10.90)

कर्मचारी कोड -----
कार्यालय कोड -----
सदस्यता क्रमांक -----

घोषणा-पत्र



(इकरार नामा धारा 42 म.प्र. सहकारी समितियों अधिनियम 1960)

मैं ----- पिता -----
जाति ----- उम्र ----- जन्म दिनांक ----- जिला -----
वर्तमान में कार्यालय ----- म.प्र.प.क्षे.वि.वि.कं.लि. ----- में -----
के पद पद कार्यरत हूँ। म.प्र. विद्युत मण्डल कर्म. परस्पर सहकारी साख संस्था, मर्यादित मन्दसौर के पक्ष में
घोषणा पत्र के द्वारा यह लिख देता हूँ कि मुझे जब भी उक्त संस्था द्वारा ऋण दिया जावे तो मासिक
किश्तों में उपरोक्त संस्था की मांग के अनुसार मेरे वेतन से कटौती करवाने को सहमत हूँ। इसी प्रकार
अनिवार्य संचय अमानत राशि ----- कुटुम्ब सहायता अंशदान राशि -----
ऋण राशि ----- ऋण राशि ----- ऋण राशि ----- अन्य -----
प्रतिमाह ----- रुपये माह ----- तक माहवार मेरे वेतन से कटौती करवाने को
सहमत हूँ। मेरा अन्यत्र स्थानांतरण हो जाने पर या नौकरी से अलग होने पर भी मेरी ओर से जो भी संस्था
के बकाया रकम निकलेगी वह एक साथ जमा करवा दुंगा। मेरी मृत्यु उपरान्त बकाया ऋण की राशि मेरे
वारिस से वसूल की जासकेगी।

मेरे द्वारा संस्था की रकम जमा कराने में चूक होने पर मेरे वेतन संवितरण अधिकारी का मेरे वेतन
में अथवा मुझे प्राप्त होने वाली अन्य राशि से कटौती कर संस्था में भेजने का अधिकार होगा। इससे मुझे व
मेरे उत्तराधिकारी को कोई आपत्ति नहीं होगी।

संस्था की मांग के अनुसार मेरे वेतन से कटौती करने के लिये मैं अपने संवितरण अधिकारी
----- म.प्र.प.क्षे.वि.वि.कं.लि. ----- को सहर्ष अधिकार देता हूँ।

जमानतदार का नाम व पता

जमानतदार के हस्ताक्षर

आवेदक के हस्ताक्षर

1. -----

नाम -----

2. -----

पिता -----

सदस्यता क्रमांक -----